23/7/24 अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रकरण अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।

संक्षेप में विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(अ) रा.का.अधि. इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की मौजा सिरोडी पं.स. बडोरिया स्थित आराजी नम्बर 505 रकबा 0.62 हे. पर आने जाने, हल, बैल, गाडी, ट्रेक्टर खेती का सामान लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता

....लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजूलाल व.ध. हीरालाल

तारीख हुक्म	हुक्म यो कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	विपक्षी संख्या 01 से 03 की आराजी संख्या 503 की दक्षिणी मेर पर पश्चिम मे स्थित आम रास्ता रेकोर्डेड से पूर्व की ओर होते हुए पहुंचता है। इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजी पर पहुंचने का कोई रास्ता नही है। अतः आराजी मय आ.नं. 503 [illegible] के दक्षिणी मेड से 5 मीटर चौडा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे तरमीम कराया जाने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।	
	बाद सुनवाई दिनांक 02/3/2020 को निर्णय पारित कर मौजा सिरोडी प.ह. बडोदिया की आराजी संख्या 503 रकबा 0.19 हे. मे से प्रस्तावित नक्शे अनुसार 0.0328 हे. भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रेकार्ड की जाने एवं मौजा सिरोडी प.ह. बडोदिया की आराजी संख्या 505 रकबा 0.62 हे० मे से प्रस्तावित नक्शे अनुसार 0.0328 हे. जेतीबेवा धन्ना 1/2, नन्दा, लेहरू - रूकमणी पिता मन्नु जाट 1/2 तथा मौजा सिरोडी प.ह. बडोदिया की आराजी संख्या 504 रकबा 0.70 हे. मे से प्रस्तावित नक्शे अनुसार 0.0328 हे. भूमि हीरालाल पिता मन्नु, दिनेश मुकेश पिता प्रभुलाल जाट सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड किए जाने के आदेश दिए गए।	
	विपक्षी संख्या 01 से 03 द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व ......लगातार	
(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)		

तारीख हुक्म	राजूलाल V/s हीरालाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ में अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या रि.ए. 57/2022 में दिनांक 22/9/2022 को निर्णय पारित कर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 02/3/2020 को निरस्त कर प्रकरण पुनः इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि रेस्पोडेन्ट नं. 10 से 13 को पक्षकार मुकदमा कायम किया जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

अपीलीय न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलीय न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 13 को प्रकरण में विपक्षी संख्या 6 से 9 के रूप में पक्षकार संयोजित कर पक्षकारान को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता रमेशचन्द्र शर्मा ने, विपक्षी संख्या 6 से 9 की ओर से अधिवक्ता किशनलाल कुमावत ने तथा प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता सुमेरराज कुमावत ने उपस्थिति दी।

विपक्षी संख्या 6 से 9 द्वारा दिनांक 30/5/2024 को प्रार्थना पत्र बाबत कमिश्नर नियुक्त किए जाने प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार

...... लगातार 2

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ____ मुकाम ____

राजूलाल बनाम हीरालाल

मुकद्दमा ____ नं. ____ सन् ____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाकर प्रकरण में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभय पक्षकारान को लिखित सूचना देकर मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 11.7.2024 अनुसार प्रार्थी राजूलाल पिता लेहरू जाट नि० लिरोडी की खातेदारी की आ.नं. 505 रकबा 0.62 हे. भूमि से लगे हुए रेकार्डेड रास्ते आ.नं. 488 किस्म रास्ता रकबा 0.23 हेक्ट. भूमि जो कि ग्राम लिरोडी से ग्राम बोरदा तह गंगरार को जाता है, व विपक्षीगण हीरालाल पिता मान्थू जाट नि० लिरोडी की खातेदारी की आ.नं. 503 मी. रकबा 0.1572 हे. भूमि से लगी होकर इसी आराजी का टुकड़ा होकर आ.नं. 1317/503 रकबा 0.0328 हे. भूमि किस्म रास्ता होकर जमाबन्दी दर्ज रेकार्ड है। उक्त रेकार्डेड रास्ते आराजी नं. 1317/503 रकबा 0.0328 हे. मौके पर विपक्षीगण हीरालाल पिता मान्थू जाट वगैरह द्वारा तारबन्दी की जाकर बन्द कर रखा है। मौके पर समझाइश कर उभय पक्ष को ......लगातार	

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	राजुलाल V/S हीरालाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रास्ता खोलने एवं आवागमन सुचारू करने हेतु काफी प्रयास पर भी विपक्षी द्वारा रास्ता नही देने एवं नही खोलने की बात कही। हमने पत्रावली का अवलोकन (अध्ययन) कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। विपक्षी संख्या 6 से 9 के निवेदन पर मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण मे पूर्व मे दिनांक 02/3/2020 को जिस पर्चा मौका के आधार पर निर्णय पारित किया गया, का गहनता से अवलोकन करने पर जाहिर हैं कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी हीरालाल द्वारा प्रस्तावित रास्ते बाबत सहमति प्रकट की गई तथा अपीलीय न्यायालय मे रेस्पोंडेन्ट 9 से 13 को प्रकरण मे विपक्षी संख्या 6 से 9 बनाया गया, इन विपक्षी संख्या 6 से 9 द्वारा भी उक्त प्रस्तावित रास्ता बाबत किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण मे उक्त पर्चा मौका प्रार्थीगण व विपक्षी हीरालाल द्वारा दिनांक 17/2/2020 को राजीनामा अनुसार रास्ता कायम किए जाने का आवेदन प्रस्तुत करने से तैयार किया गया हैं तथा दिनांक 02/3/2020 को पारित निर्णयानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद भी हो चुका है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02/3/2020 को पारित निर्णय राजीनामा के आधार पर होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) ....लगातार

राजुलाल vs हीरालाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर अहक... हुक्म ... में ...

उचित नहीं है। तहसीलदार चित्तौडगढ को निर्देशित किया जाता है कि मौजा सिरोडी प०ह० बडोदिया की आराजी नम्बर 1317/503 रकबा 0.0328 रास्ता जो विपक्षीगण द्वारा बन्द किया गया है उसे नियमानुसार खुलवाने की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चित्तौडगढ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

SCAN AnyScanner